न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 98/2014 दायर दिनांक: 14.07.2014

उनवान

1. रायसिंह आ. भंवरलाल जाति राजपुत निवासी लालगांव तहसील सुनेल
2. मदनसिंह आ. भंवरलाल जाति राजपुत निवासी लालगांव तहसील सुनेल
3. जवानसिंह आ. भंवरलाल जाति राजपुत निवासी लालगांव तहसील सुनेल
4. श्रृंगारबाई पुत्री भंवरलाल जाति राजपुत निवासी लालगांव तहसील सुनेल
5. सोदानसिंह आ. रामसिंह जाति राजपुत निवासी लालगांव तहसील सुनेल
6. कुशालसिंह आ. रामसिंह जाति राजपुत निवासी लालगांव तहसील सुनेल
7. गजराजसिंह आ.रामसिंह जाति राजपुत निवासी लालगांव तहसील सुनेल
8. संतोषबाई पुत्री रामसिंह जाति राजपुत निवासी लालगांव तहसील सुनेल
9. केलाशबाई बेवा रामसिंह जाति राजपुत नि. लालगांव तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1. बनेसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत निवासी लालगांव तहसील सुनेल
2. **फोत/डिलीट** — भीमाबाई बेवा सरदारसिंह जाति राजपुत नि. लालगांव.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण —

अभिभाषक वादीगण — श्री सुभाष दांगी

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 — श्री कालूराम मेघवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

निर्णय दिनांक : 01.07.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नकल जमाबन्दी ग्राम लालगांव तहसील पिड़ावा की खाता सं. 148 मे आराजी खसरा न. 290 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा, खसरा न. 292 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा [illegible] 2 [illegible] कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा आराजी स्थित है [illegible] केवल वादीगण [illegible]से कब्जे की पुश्तेनी हैं। यह कि नकल जमाबन्[illegible] सं. 56 मे उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी खसरा न. 290 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा व खसरा न. 292 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादीगण 1 लगायत 4 के पिता व 5 लगायत 9 के दादा व ससुर श्री भंवरलाल आ. प्यार जी तथा प्रतिवादी 1 बनेसिंह पिता सरदारसिंह, बनेसिंह नावा, की वली माता भीमाबाई के खाते हिस्सा बराबर दर्ज रही है। वादीगण के पिता भवरलाल जी व प्रतिवादी 1 के पिता सरदारसिंह दोनो सगे भाई थे जिस कारण तका भूमि वादीगण के पिता व प्रतिवादी 1 के खाते हिस्सा बराबर रही है। जिसमे वादीगण का कुल 12 बीघा 8 बिस्वा में 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 1 का रहा है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह कि प्रतिवादी 1 व उसकी माता भीमाबाई ने उक्त खाते में कुल 12 बीघा 8 बिस्वा में उनके हिस्से 1/2 से अधिक केवल खसरा न. 292 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा में से 7 बीघा भूमि दिनांक 26.06.1968 को सात सौ रूपये में प्रहलादसिंह आ. हटेसिंह जाति राजपुत को बैचान कर दी है, जो उसके खाते नामा. सं. 79 से दर्ज हो गयी है। जिसमे प्रतिवादी 1 ने उसका सम्पूर्ण हिस्सा उक्त खाते का बैचान कर दिया, लेकिन राजस्व कर्मचारीयों की गलती से प्रतिवादी 1 का नाम, वादीगण के हिस्से खाते कब्जे की शेष भूमि पर अवैध चल रहा है। जबकि शेष भूमि पेरा न. 1 मे दर्ज वादीगण के हिस्से कब्जे की है, जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त खातेदार टीनेन्ट की हैसियत से सबके ज्ञान मे चला आ रहा है। प्रतिवादी 1 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त हक व हिस्सा नहीं है। इस कारण वाद के पेरा न. 1 में वर्णित भूमि खाता सं. 148 आराजी खसरा न. 290 व 292 कुल 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर प्रतिवादी 1 का नाम खाते से कम किया जाना न्यायहीत मे है। यह कि प्रतिवादी 1 का नाम वाद के पेरा न. 1 की भूमि में अवैध दर्ज हो जाने का फायदा उठाकर प्रतिवादी 1 भूमि को अन्य के नाम अन्तरण, बैचान, रहन, वसियत अवेंध तरिके से कराने पर उतारू है, जिसका उसे कोई अधिकार नही है। यदि प्रतिवादी 1 उसके अवेंध कृत्य मे कामयाब हो गया तो वादीगण को भारी अपरिमित क्षति होगी। वादीगण का दावा कमजोर हो जावेंगा। इस कारण प्रतिवादी 1 व 3 को रेकार्ड में कोई परिवर्तन नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है। यह कि प्रतिवादी 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

ने दिनांक 04.06.2014 को धमकी दी की वाद के पेरा न. 1 की भूमि में उसका नाम अवैध दर्ज होने से वह भूमि को प्रतापसिंह पिता गोपीसिंह राजपुत निवासी लालगांव के नाम भूमि अन्तरण करके रहूंगा, जबरन कब्जा करेगे। इसलिए वाद कारण दिनांक 04.06.2014 को उत्पन्न होकर वाद पेश करना पड़ा है। यह कि वाद के पेरा न. 2 की भूमि में से प्रतिवादी 1 उसका सम्पूण हिस्सा बैचान कर चुका है। शेष भूमि वाद के पेरा न. 1 में वर्णित अ. म. कलश बादीगण के हिस्से कब्जे काश्त की होने से वादीगण अपने को उक्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट घोषित कराने व प्रतिवादी 1 का नाम खाते से कम कराने की घोषणा कराने के वेधानिक अधिकारी है। यह कि प्रतिवादी 2 का नाम बैचान पत्र दिनांक 26.06.1968 व नामा. सं. 79 मे दर्ज होने से पक्षकार बनाया गया है, जो अब गोपीसिंह की बेवा है। तथा प्रतिवादी 3 को लेण्ड होल्डर होने व प्रतिवादी 1 का नाम जमाबन्दी में कम करने व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हैतु पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार में उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को वाद के पेरा न. 1 में वर्णित भूमि खाता सं. 148 के खसरा न. 290 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा व खसरा न. 292 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाके लालगांव के खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाकर प्रतिवादी 1 का नाम खाते से कम किया जाने की घोषणा की जावें। तदानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावें। प्रतिवादी 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की वह रेकार्ड व मौके में कोई परिवर्तन नही करावें। यदि रेकार्ड व मौके पर कोई परिवर्तन कराने में सफल हो जावें तो उसे शुन्य घोषित किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता व हर्जा खर्चा मुकदमा भी वादीगण को दिलाने की कृपा करें।

2 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री कालूराम मेघवाल उपस्थित परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से प्रतिवादी सं. 1 का जवाब अवसर बंद किया गया तथा मुताबिक आदेशिका दिनांक 04.05.2022 प्रतिवादी सं. 2 का नाम डिलीट किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम लालगांव के खाता सं. 148, 167, 128 जमाबंदी सं. 2069–72 प्रदर्श 1 से 3, ग्राम लालगांव के खाता सं. 56 जमाबंदी सं. 2032–35 प्रदर्श 4, ग्राम लालगांव के खाता सं. 54 जमाबंदी सं. 2036–39 प्रदर्श 5, ग्राम लालगांव के खाता सं. 57 जमाबंदी सं. 2041–44 प्रदर्श 6, ग्राम लालगांव के खाता सं. 62 जमाबंदी सं. 2045–48 प्रदर्श 7, ग्राम लालगांव के खाता सं. 64 जमाबंदी सं. 2049–52 प्रदर्श 8, ग्राम लालगांव के खाता सं. 52 जमाबंदी सं. 2053–56 प्रदर्श 9, ग्राम लालगांव के खाता सं. 60 जमाबंदी सं. 2057–60 प्रदर्श 10, ग्राम लालगांव के खाता सं. 124 जमाबंदी सं. 2061–64 प्रदर्श 11, ग्राम लालगांव के खाता सं. 132 जमाबंदी सं. 2065–68 प्रदर्श 12, ग्राम लालगांव के खाता सं. 35 जमाबंदी सं. 2036–39 प्रदर्श 13, ग्राम लालगांव के खाता सं. 49 जमाबंदी सं. 2057–60 प्रदर्श 14, ग्राम लालगांव के खाता सं. 137 जमाबंदी सं. 2061–64 प्रदर्श 15, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.1968 प्रदर्श 16, ग्राम लालगांव का नामा.सं. 79 प्रदर्श 17 व ग्राम लालगांव के खाता सं. 175 जमाबंदी सं. 2073–76 प्रदर्श 18, ग्राम लालगांव के खाता सं. 72 जमाबंदी सं. 2022–41 की नकले पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में जवानसिंह पि. भंवरसिंह, बरदीलाल पि. भंवरलाल, जसवंतसिंह पि. भंवरसिंह, प्रभूलाल पि. हीराजी व रामसिंह पि. भंवरलाल PW 1 To PW 5 के बयान कराये।

4. प्रतिवादी सं. 1 की ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नही करके सीधे बहस की गई।

5. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम लालगांव हाल तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2069–72 के अनुसार खाता सं. 148 हाल खाता सं. 175 ख.नं. 290 व 292 किता 2 कुल रकबा 5–08 बीघा रायसिंह, रामसिंह, मदनसिंह, जवानसिंह पिस. भंवरलाल व पुत्री श्रृंगारबाई हि. 1/2 एवं प्रतिवादी सं. 1 बनेसिंह हि.1/2 की [illegible] खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। वादी सं. 5 से 9 द्वारा अपना हिस्सा [illegible] वादीगण 1 से 4 के पक्ष में हकत्याग किये जाने से वादग्रस्त आराजी [illegible] राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(14)

में वादी सं. 1 से 4 हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सं. 1 बनेसिह हि.1/2 की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त वादी सं. 1 से 4 का चला आ रहा है।

6. अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि जमाबंदी सं. 2032–35 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खाता सं. 56 ख.नं. 290 व 292 किता 2 रकबा 12–08 बीघा भूमि वादी सं. 1 से 4 के पिता भंवरलाल पि. प्यारजी एवं प्रतिवादी सं. 1 बनेसिंह पि. सरदारसिंह नाबा. हिस्सा 1/2–1/2 में दर्ज रिकार्ड थी। खातेदार भंवरसिंह व सरदारसिह पिस. प्यारसिंह दोनो सगे भाई थे। प्रतिवादी सं. 1 बनेसिंह ने वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 12–08 बीघा में से अपना सम्पूर्ण हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.1968 से प्रहलादसिंह पि. हटेसिंह को कर दिया था। वादग्रस्त आराजी 12–08 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/2 यानि 6–04 बीघा होने के बावजूद भी उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में प्रतिवादी सं. 1 ने बिना किसी हक व अधिकार के 7–00 बीघा भूमि बेचने का अंकन कर उप पंजीयक पिडावा से रजिस्टर्ड करवा लिया था। तत्कालीन उप पंजीयक एवं तहसीलदार पिडावा द्वारा राजस्व रिकार्ड की जांच पडताल किये बिना बेचान पत्र में अंकन अनुसार पंजीयन कर दिया गया। ख.नं. 292 रकबा 10–02 बीघा के दोनो सहखातेदारो के शामलाती होने से प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 5–01 बीघा निहित होने पर भी 7–00 बीघा भूमि का बेचान इसी शामलाती खसरे से कर दिया गया जो कि विधि विरूद्ध होने से प्रारम्भ से अवैध व प्रभावशून्य है। आगे तर्क किया गया कि केता पहलादसिंह पि. हटेसिंह वक्त बेचान से आज तक मौके पर केवल 6–04 बीघा पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त विधि विरूद्ध बेचानपत्र दिनांक 26.06.1968 के आधार पर तत्कालीन राजस्व कार्मिको व ग्राम पंचायत सलोतिया द्वारा भी राजस्व रिकार्ड के तथ्यों की जांच किये बिना ख.नं. 292 में से 7–00 बीघा भूमि का नामा.सं. 79 केता प्रहलादसिंह के पक्ष में निर्णित कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र एवं नामा.सं. 79 की राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने पर केता [illegible] भूमि [illegible] नया नं. 509/292 रकबा 7–00 बीघा दर्ज हुआ। मूल ख.नं. 292 [illegible] 3–02 बीघा एवं ख.नं. 290 रकबा 2–06 बीघा कुल [illegible] गया। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

सं. 1 बनेसिंह द्वारा अपने हिस्से से भी अधिक भूमि का बेचान किये जाने के बावजूद भी राजस्व कार्मिको द्वारा नामा.सं. 79 दिनांक 10.10.1977 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते समय गंभीर लापरवाही एवं अवैधानिक रूप से कार्य करते हुए बिना किसी सक्षम प्राधिकार/आदेश के वादी की शेष बची भूमि ख.नं. 290 रकबा 2–06 बीघा कुल 5–08 बीघा पर भी प्रतिवादी सं. 1 का नाम यथावत दर्ज रखा। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि जमाबंदी सं. 2036–39 में नामा.सं. 79 का अमल दरामद करते समय तत्कालीन राजस्व कार्मिको ने वादी की भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 बनेसिंह पि. सरदारसिंह का नाम अंकित कर उसे कलम/पेन से गोला/राउण्ड कर दिया था जिससे साबित है कि प्रतिवादी सं. 1 का नाम गलत तरीके से दर्ज होने पर तत्कालीन राजस्व कार्मिको ने अपनी भूल को स्वीकार कर प्रतिवादी के नाम को पेन से राउण्ड करने पर भी अगली चौसाला जमाबंदी सं. 2041–44 बनाते समय पुनः गंभीर लापरवाही करते हुए बिना किसी सक्षम प्राधिकार के प्रतिवादी का नाम दर्ज रखा जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। यद्यपि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का हिस्सा 6–04 बीघा बनता था तथापि अनावश्यक वाद विवाद से बचने और प्रकरण को लम्बा नहीं करने के लिए शेष बची 5–08 बीघा भूमि पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित होने को भी तैयार है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम लालगांव की शेष बची आराजी ख.नं. 290 व 292 किता 2 रकवा 5–08 बीघा यानि 1.3658 है. में अवैध व गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर वादी सं. 1 से 4 को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

7. अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि भले ही प्रतिवादी सं. 1 का वादग्रस्त भूमि में 6–04 बीघा बनता था लेकिन कब्जा 7–00 बीघा पर था एवं उसी अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि का बेचान कर कब्जा सौपा गया था। किसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को खारीज करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नही। आगे तर्क किया गया कि उक्त रजिस्टर्ड [illegible] के आधार पर खोले गये नामा.सं. 79 की वादीगण [illegible] नहीं की है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

8 अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम लालगांव हाल तहसील सुनेल की भू-प्रबंध विभाग की जमाबंदी सं. 2022-41 के अनुसार तत्कालीन खाता सं. 72 ख.नं. 290 रकबा 2-06 बीघा, ख.नं. 292 रकबा 10-02 बीघा व ख.नं. 433 रकबा 2-06 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 14-14 बीघा भंवरलाल पि. प्यारजी व बनेसिंह पि. सरदारसिंह जाति राजपूत हिस्सा बराबर दर्ज यानि प्रत्येक का 7-07 बीघा हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। इसी प्रकार जमाबंदी सं. 2032-35 प्रदर्श 4 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खाता सं. 56 ख.नं. 290 रकबा 2-06 बीघा व 292 रकबा 10-02 बीघा किता 2 रकबा 12-08 बीघा भूमि वादी सं. 1 से 4 के पिता भंवरलाल पि. प्यारजी एवं प्रतिवादी सं. 1 बनेसिंह पि. सरदारसिंह नाबा. हिस्सा 1/2-1/2 में दर्ज रिकार्ड थी। इस तथ्य पर उभयपक्ष सहमत है कि खातेदार भंवरसिंह व सरदारसिह पिस. प्यारसिंह दोनो सगे भाई थे। सरदारसिंह की मृत्यु के वाद वादग्रस्त आराजी पुत्र बनेसिंह नाबालिग व बेवा भीमाबाई के खाते दर्ज हुई थी तथापि मृतक सरदारसिंह का फोती नामान्तरण की सत्यप्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वादी द्वारा पेश रजिस्टर्ड विकय पत्र कमांक 241 दिनांक 26.02.1968 प्रदर्श 16 के अवलोकन से जाहिर है कि खातेदार बनेसिंह पि. सरदारसिह एवं भीमाबाई बेवा सरदारसिंह द्वारा ख.नं. 292 में से 7-00 बीघा भूमि का बेचान 700/- की प्रतिफल राशि पर प्रहलादसिंह पि. हटेसिंह जाति राजपूत को बेचान किया था। उक्त बेचान के आधार पर नामा.सं. 79 दिनांक 10.10.1977 प्रदर्श 17 ग्राम पंचायत सलोतिया द्वारा दर्ज किया गया। उक्त बेचान के बाद शेष बची भूमि ख.नं. 290, रकबा 2-06 बीघा व ख.नं. 292 रकबा 3-02 बीघा कुल किता 2 रकबा कुल रकबा 5-08 बीघा वादी के खाते शेष रहनी चाहिए थी। जमाबंदी सं. 2036-39 प्रदर्श 5 के अवलोकन से जाहिर है कि राजस्व कार्मिको द्वारा सं. 2032-35 के बाद अगली चौसाला जमाबंदी यानि सं. 2036-39 बनाते समय नामा.सं. 79 का अमल दरामद करते समय गलत तरीके से वादी भंवरलाल पि. प्यारजी के साथ [illegible] खातेदार बनेसिंह पि. सरदारसिंह नाबालिग का नाम भी दर्ज कर दिया गया था जबकि बनेसिंह अपने हिस्से की भूमि का बेचान पूर्व में कर चुका था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जमाबंदी सं. 2036–39 के अवलोकन से जाहिर है कि तत्कालीन राजस्व कार्मिको द्वारा विक्रेता सहखातेदार बनेसिंह पि. सरदारसिंह नाबालिग पर पेन से राउण्ड या गोला बनाया गया था जो संभवतः बनेसिंह के नाम के गलत अंकन को दुरूस्त करना जाहिर करता है। आगामी चौसाला जमाबंदी सं. 2041–44 प्रदर्श 6 बनाते समय भी तत्कालीन राजस्व कार्मिको ने पुनः त्रुटी करते हुए पूर्ववर्ती चौसाला में राउण्ड या गोला किये गये विक्रेता सहखातेदार बनेसिंह पि. सरदारसिंह का नाम यथावत रख दिया जो आज दिनांक तक यथावत चला आ रहा है। उपरोक्त विवेचन से जाहिर होता है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक 7–00 बीघा भूमि का बेचान करने के बावजूद राजस्व कार्मिको द्वारा गंभीर लापरवाही करते हुए राजस्व रिकार्ड में उनके नाम को हटाने के बजाय यथावत रखा गया।

9 वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाहान **PW 1 जवानसिंह ने** अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी सं. 1 बनेसिंह सरपरस्त माता भीमाबाई ने अपने हिस्से 1/2 से अधिक भूमि का सं. 2068 में प्रहलादसिंह को बेचान कर दिया था। यह सही है कि रजिस्ट्री के नामान्तरण की अपील नहीं की हैं। भीमाबाई के एक मात्र लडका बनेसिंह है और कोई नहीं है। अब प्रतिवादी का कोई हिस्सा नहीं है। वर्तमान में मेरा कब्जा काश्त शेष 5–08 बीघा भूमि पर है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा नहीं है। आगे कथन किया है कि प्रतिवादी ने विवादित भूमि पर फसल नहीं बो रखी है। **PW 2 बद्रीलाल ने जिरह** में स्वीकार किया है कि वादीगण के कब्जे की उक्त भूमि 15 साल तक मैने ट्रेक्टर से हंकाई की है। वादग्रस्त भूमि के ख.नं. तो मुझे याद नहीं है लेकिन दोनो खसरा मिलाकर अभी 5–08 बीघा है जो पहले 12 बीघा थी जिसमें से 7 बीघा बनेसिंह ने बेच दी है। यह सही है कि रजिस्ट्री के नामान्तरण की अपील नहीं की है। **PW 3 जसवंतसिंह ने जिरह** में स्वीकार किया है कि बनेसिंह ने जब रजिस्ट्री करवायी थी तो मैं मोजूद नहीं था। वर्तमान में जमीन प्रहलादसिंह के लडको के नाम हो गई है, मुझे जानकारी नहीं है। विवादित जमीन पर बनेसिंह खेती नहीं करता है। **PW 4 प्रभूलाल ने जिरह** में स्वीकार किया है कि यह [illegible] भीमाबाई व बनेसिंह ने जब जमीन बेची थी तब बनेसिंह छोटा था। [illegible]ई ने 7–00 बीघा जमीन बेची थी। यह सही है कि बेची हुई जमीन पर प्रहलादसिंह के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

लड़के फसल बो रहे है। यह गलत है कि विवादित भूमि के कुछ हिस्से पर बनेसिंह भी खेती करता है। PW 5 रायसिंह ने जिरह में कथन किया है कि भीमाबाई व बनेसिंह दोनो ने रजिस्ट्री करवाई थी। बनेसिंह होश्यार था। यह सही है कि रजिस्ट्री के नामान्तरण की अपील नहीं की है।

10. अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा बहस में स्वयं स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी में उनका हिस्सा 6–04 बीघा बनता था लेकिन 7–00 बीघा बेचान किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त मूल आराजी किता 2 कुल मूल रकबा 12–08 बीघा में प्रतिवादी बनेसिंह का 1/2 हिस्सा यानि 6–04 बीघा का हक व अधिकार निहित होने पर भी 7–00 बीघा भूमि का बेचान किया गया। तत्कालीन उप पंजीयक पिडावा द्वारा राजस्व रिकार्ड में हिस्से की जांच पडताल किये बिना विक्रय पत्र का पंजीयन करना जाहिर होता है। यदि किसी सहखातेदार द्वारा अपने दर्ज हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया जाता है तो ऐसे बेचान उसके निहित हिस्से के अतिरिक्त भूमि के हद तक प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध माने गऐ है। **अभिभाषक प्रतिवादी का यह तर्क सही है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को खारीज करने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है।** वादी द्वारा अपने अनुतोष में उक्त विक्रय पत्र को खारीज कराने का अनुतोष नहीं चाहा है बल्कि अपने हिस्से की शेष बची आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 5–08 बीघा में राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी प्राधिकार के गलत तरीके से जोडे गये प्रतिवादी सं. 1 के नाम को हटाकर/त्रुटी दुरूस्त कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने का मुख्य अनुतोष चाहा है। खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार धारा 88 आर.टी.एक्ट के अधीन राजस्व न्यायालय का है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

88. Suits for declaration of right— (1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy, (2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant, (3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant, (4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

11. स्वयं वादी द्वारा अपने वाद पत्र के मद कम 3 में स्वीकार किया है कि शेष वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 5-08 बीघा पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी द्वारा पेश साक्ष्य गवाह पीडब्यू 1 से 5 ने अपने सशपथ बयानो एवं जिरह में भी स्वीकार किया है कि शेष वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 5-08 बीघा पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। अतः उपरोक्त विवेचने से धारा 188 आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है।

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम लालगांव की जमाबंदी सं. 2073–76 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 290 रकबा 0.5817 है. व ख.नं. 292 रकबा 0.7841 है. किता 2 रकबा 1.3658 है. भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं वेदखली का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम लालगांव की जमाबंदी सं. 2073–76 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 290 रकबा 0.5817 है. व ख.नं. 292 रकबा 0.7841 है. किता 2 रकबा 1.3658 है. भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 बनेसिंह हिस्सा 1/2 के स्थान पर भंवरलाल पि. प्यारजी के वारीसान वादी सं. 1 से 9 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena (दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
Date: 2025.07.02 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 98 / 2014 दायर दिनांकः 14.07.2014

उनवान

1. रायसिंह आ. भंवरलाल जाति राजपुत निवासी लालगांव तहसील पिड़ावा
2. मदनसिंह आ. भंवरलाल जाति राजपुत निवासी लालगांव तह० पिड़ावा .
3. जवानसिंह आ. भंवरलाल जाति राजपुत निवासी लालगांव तह० पिड़ावा
4. श्रृंगारबाई पुत्री भंवरलाल जाति राजपुत निवासी लालगांव तह० पिड़ावा
5. सोदानसिंह आ. रामसिंह जाति राजपुत निवासी लालगांव तह० पिड़ावा
6. कुशालसिंह आ. रामसिंह जाति राजपुत निवासी लालगांव तहव पिड़ावा
7. गजराजसिंह आ. रामसिंह जाति राजपुत निवासी लालगांव तह० पिड़ावा
8. संतोषबाई पुत्री रामसिंह जाति राजपुत निवासी लालगांव तह० पिड़ावा
9. केलाशबाई बेवा रामसिंह जाति राजपुत नि. लालगांव तहसील पिड़ावा

— वादीगण

बनाम

1. बनेसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत निवासी लालगांव तह० पिड़ावा
2. **फोत / डिलीट** — भीमाबाई बेवा सरदारसिंह जाति राजपुत नि. लालगांव
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पिड़ावा

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण —

अभिभाषक वादीगण — श्री सुभाष दांगी

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 — श्री कालूराम मेघवाल

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X.............. रूबरू..............X.............................

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..............................

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर[illegible]शिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम ल[illegible] की जमाबंदी [illegible]073–76 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 290 रकबा 0.5817 है. व ख.नं. 292 रकबा 0.7841

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

है किता 2 रकबा 1.3658 है. भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 बनेसिंह हिस्सा 1/2 के स्थान पर भंवरलाल पि. प्यारजी के वारीसान वादी सं. 1 से 9 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

01/7/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मिज .....X..... मुवालिक .....X..... वावत् खर्चा इस मुकदमें के सूद वगारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 01.07.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज०
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	वावत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	वावत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज०
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:35:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner